डाक जीवन बीमा निदेशालय
डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
चाणक्यपुरी डाकघर भवन, नई दिल्ली-११००२१
DIRECTORATE OF POSTAL LIFE INSURANCE
Department of Posts, Ministry of Communications &
Information Technology, Government of India
Chanakyapuri Post Office Complex, New Delhi-110021

पत्रांक
No

दिनांक
Dated

29-5/2011-एलआई 22-2-2018

सेवा में,

सभी डाक परिमण्डल प्रमुख,
निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी गाजियाबाद,
अति. डाक महाध्यक्ष(सेना डाक सेवाएं),
56 एपीओ,
सभी डाक रीजन प्रमुख,
सभी निदेशक डाक प्रशिक्षण केन्द्र,
निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता,
सीईपीटी, मैसूर
तकनिकी निदेशक(एनआईसी), डाक भवन, नई दिल्ली,
इन्फोसिस लिमिटेड

विषय- डाक जीवन बीमा नियमावली- 2011 में संशोधन संबधी गजट नोटिफिकेशन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में गजट अधिसूचना क्रम स. **29-5/2011-एलआई** तिथि 5-2-2018 की प्रति प्राप्त करें।

आप इस गजट नोटिफिकेशन की प्रति मुद्रण निदेशालय, प्रकाशन विभाग, नगर विकास मंत्रालय की वेबसाईट पर जा कर (e gazette पोर्टल) से भी प्राप्त कर सकते हैं।

इसे मुख्य महा प्रबंधक(डाजीबी) की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

Centre for Excellence in Postal Technology, Mysore-570010

01 MAR 2018

(यू.एस. कान्याल)
उप मण्डलीय प्रबंधक- II

संलग्नक-यथोपरि

कार्यालय प्रति- मुख्य लेखा अधिकारी, उप मण्डलीय प्रबंधक-I, उप मण्डलीय प्रबंधक-II , सहायक लेखा अधिकारी, सहायक प्रबंधक, सहायक निदेशक(तकनिकी)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 15, 2018/माघ 26, 1939
No. 65] NEW DELHI, THRUSDAY, FEBRUARY 15, 2018/MAGHA 26, 1939

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2018

फा. सं. 29-05/2011-LI.— डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011 के नियम 3 के माध्यम से प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, हितलाभों एवं सेवाओं की नियोजित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा धनशोधन का निवारण (अभिलेख का अनुरक्षण), द्वितीय संशोधन नियमावली, 2017 के अंतर्गत डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011 (पोली नियमावली 2011) के नियम 5 में निम्नलिखित परिभाषा अंतर्वेशित की जा रही है :

33(क) : "प्राथमिक अभिज्ञापक/पहचान प्रमाण" से आशय डाकघर जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा (आरपीएलआई) पॉलिसी के क्रय के लिए आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, हितलाभों एवं सेवाओं की नियोजित प्रदायगी) अधिनियम, *2016 (2016 का 18) की धारा 2 के उपबंध (क) की परिभाषा के अनुसार पहचान नंबर के रूप में आधार नंबर से है।*

डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011 के नियम 21 के नीचे नियम संख्या 21(क) निम्नानुसार अंतर्वेशित किया जा रहा है :

21(क) : पीएलआई / आरपीएलआई पॉलिसी धारकों एवं प्रस्तावकों की पहचान - पीएलआई / आरपीएलआई पॉलिसी के किसी धारक एवं प्रस्तावक की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ आधार नंबर विशिष्ट अभिज्ञापक होगा :

परंतु यह कि जहां आधार नंबर आबंटित नहीं किया गया है, प्रस्तावक / इन्शुरन्ट आधार पंजीकरण के लिए आवेदन करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह भी कि प्रत्येक पीएलआई / आरपीएलआई पॉलिसी धारक जिसने ऐसी पॉलिसी के लिए आवेदन करते समय आधार नंबर नहीं दिया है, केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) / संबंधित डाकघर को अपना आधार नंबर प्रस्तुत करेगा।

ये संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

बी. एन. त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक (पीएलआई)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF POSTAL LIFE INSURANCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2018

F. No. 29-05/2011-LI.—In exercise of powers conferred vide Rule 3 of Post Office Life Insurance Rules (2011) and in pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial & Other *Subsidies, Benefits and Services)* Act, 2016 (18 of 2016) and under Prevention of Money Laundering (Maintenance of Record), Second Amendment Rules, 2017, following definition is inserted in Rule 5 of Post Office Life Insurance Rules -2011 (POLI Rules 2011) :

33(A) : "Primary Identifier/Proof of Identity" means Aadhar number an identification number as defined in clause (a) of section 2 of Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) for purchase of a Postal Life Insurance (PLI) and Rural Postal Life Insurance (RPLI) policy.

Rule number 21(A) below rule 21 of Post Office Life Insurance Rules -2011 is inserted as under:

21(A) : Identification of PLI/RPLI Policy holders and proposers – The Aadhaar number shall be the unique identifier for the purpose of establishing the identity of a proposer and PLI/RPLI policy holder :

Provided that where Aadhaar number has not been assigned, the proposer/ insurant shall submit proof of application of enrolment of *Aadhaar:*

Provided further that every PLI/RPLI policy holder who has not given the Aadhaar number at the time of application for such policy, shall submit his/her Aadhaar number to the Central Processing Centre(CPC)/Post office concerned.

These amendments shall be effective from the date of publication in Gazette of India.

B. N. TRIPATHY, Chief General Manager (PLI)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.02.20 17:53:32 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.